योजना का सार

कृषि उत्पादकता और लचीलापन

संदर्भ

- केंद्रीय बजट (2024–25) में कृषि को 'विकसित भारत' के रणनीतिक रोडमैप में प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करके कृषि के प्रति सरकार ने अपनी भावनाएँ स्पष्ट कर दी हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्राथमिकता वाले ऐसे नौ क्षेत्रों का उल्लेख किया जिनमें 'कृषि उत्पादकता और लचीलापन' को सर्वोच्च महत्त्व दिया गया है। कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिससे वर्तमान योजनाओं तथा कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाने में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुसंधान और भावी रूपरेखा

- वैज्ञानिक अनुसंधान ने 3–आई अर्थात् इंटरवेंशन (हस्तक्षेप), इनवेंशन (खोज) और इनोवेशन (नवाचार) के माध्यम से बार-बार अपना विशेष महत्त्व सिद्ध किया है। हमारा कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से है परंतु, नई और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और प्रभावी बनाना ज़रूरी है।
- इस उद्देश्य से ही सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और मौसम के अनुरूप ढलने वाली किस्मों के विकास पर ध्यान देने के लिए कृषि अनुसंधान तंत्र की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव रखा है।
- इस व्यवस्था को और व्यापक बनाने के लिए अनुसंधान प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा और शोध कार्यों की प्रगति की निगरानी

भी की जाएगी। सरकार ने खेती और बागवानी की 32 फसलों की अधिक उत्पादन करने वाली और मौसम के अनुरूप ढलने वाली 109 किस्में जारी करने का लक्ष्य भी तय किया है।

- प्रौद्योगिकियों और मानव संसाधनों के विकास का दायित्व संभालने वाले कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को 9941.09 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय और मानवीय संसाधनों तथा कृषि अनुसंधान तंत्र को सशक्त बनाकर सरकार किसानों की आय में वृद्धि करना चाहती है।

प्रकृति और पोषण

- अनुसंधान से प्रकृति की ओर बढ़ते हुए सरकार ने देश भर के करीब 1 करोड़ किसानों को आने वाले दो वर्षों में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार करने का प्रस्ताव रखा है।
- उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था करने और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पहुँचाने के लिए प्रमाणन और ब्रैंडिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों के हित में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक संस्थान और ग्राम पंचायतें एकजुट होकर प्रयास करेंगी।
- प्राकृतिक खेती अक्सर जैविक खेती से भी जुड़ी रहती है और इसमें रासायनिक आदानों का इस्तेमाल न होने के कारण बाहरी आदान भी प्रयोग नहीं किए जाते।
- वर्ष 2023–24 से 'प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय मिशन' एक अलग और स्वतंत्र योजना के तौर पर चलाया जा रहा है।
- यह योजना 'भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति' शीर्षक पुरानी योजना का ही बृहद् और विकसित रूप है। प्राकृतिक खेती पर ज़ोर देकर सरकार किसानों को जागरूक बनाने और उन्हें प्रशिक्षण देने, उनसे सहयोग करने और उनकी क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है।

- पोषण सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने तथा रोज़गार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के आसपास बड़े पैमाने पर सब्ज़ियाँ उगाने के क्लस्टर (बगीचे) विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।
- सरकार ने सब्ज़ियाँ एकत्र करने और उनके भंडारण व बिक्री के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO)] सहकारी समितियाँ और स्टार्टअप्स बनाने का निर्णय लिया है।
- टमाटर, प्याज और आलू (TOP) के लिए वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018–19 में 'ऑपरेशन ग्रीन' नाम से एक महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की थी।
- अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और केवल इन तीन सब्ज़ियों तक सीमित न रखकर यह व्यवस्था जल्दी खराब या नष्ट होने वाली 22 फसलों के लिए लागू की जा रही है जिनमें 10 फल, 11 सब्ज़ियाँ और झींगा मछली शामिल हैं।
- अनाज, दूध और अन्य प्रमुख पदार्थों के मामले में दृढ़ता से आत्मनिर्भर बन जाने के बावजूद दलहन और तिलहन उत्पादन अभी तक कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है।
- सरकार ने इनका उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अनेक उपाय शुरू किए हैं और इस बार पेश किए बजट में भी इस बात पर ज़ोर दिया गया है।

मछली-पालन

- वर्ष 2022–23 में भारत में 1.754 करोड़ टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया और इस तरह भारत दुनिया का तीसरा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश बन गया।
- वर्तमान बजट में मत्स्यपालन विभाग के लिए 2,616 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो पिछले वित्त वर्ष के 1,701 करोड़ रुपए के प्रावधान से 54% ज़्यादा हैं।

- इस प्रावधान में से 2,352 करोड़ रुपए की बड़ी राशि विभाग की प्रमुख योजना 'पीएम मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तय की गई है।
- भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र के स्थायी और समग्र विकास की दृष्टि से नीली क्रांति (Blue Revolution) 2.0 शुरू करने के साथ ही पाँच समेकित एक्वा पार्क भी बनाए जा सकेंगे।
- झींगा मछली पालन और उनके प्रसंस्करण तथा निर्यात के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Nabard) के ज़रिए सुविधाएँ जुटाई जाएंगी।

निष्कर्ष

- कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के बजट आवंटन और प्रावधान में भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने का विज़न है। साथ ही, गरीबों और छोटे किसानों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने और उनके कल्याण पर भी मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।

राजकोषीय माध्यम से बुनियादी ढाँचे का विकास

संदर्भ

- भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परिवर्तकारी विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण महत्त्वपूर्ण है। इसमें भौतिक, सामाजिक, वित्तीय तथा डिजिटल बुनियादी ढाँचा शामिल है। परिवहन, ऊर्जा तथा शहरी बुनियादी ढाँचे में निवेश इसके अधिक गुणक प्रभावों के कारण व्यवस्थित और तेज़ गति से विकास को बढ़ावा देता है।

प्रमुख बुनियादी ढाँचा पहलें और आवंटन

- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कुल बजटीय व्यय 48,20,512 करोड़ रुपए में से कुल पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 16.9% की वृद्धि को दर्शाता है।

- प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,01,889 करोड़ रुपए है, जो दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करता है।
- पिछले पाँच वर्षों के बुनियादी ढाँचे पर निवेश के लिए आवंटन में लगातार प्रगति दिखाई देती है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने में सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दर्शाता है।

भौतिक संपर्क अवसंरचना

- भारत में भौतिक संपर्क और अवसंरचना विकास को बढ़ाने के लिए बजट प्रावधानों में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में निवेश शामिल है जिसका उद्देश्य एक मज़बूत, एकीकृत और पारस्परिक रूप से सहायक परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना है।
- **सड़क मार्ग:** सड़क नेटवर्क के उन्नयन ने परिवर्तनशील और कुशल बुनियादी ढाँचे को जन्म दिया है जो आर्थिक अवसरों, संपर्क, पर्यटन और शहरीकरण को बढ़ावा देता है। सड़क विकास में नए जमाने की तकनीक और टिकाऊ कच्चे माल का उपयोग शामिल किया गया है।
- 'भारतमाला परियोजना' के तहत, भारत सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी बढ़ाने और माल ढुलाई को तेज़ करने के लिए देश भर में सड़क नेटवर्क बनाना है।
- सड़क संपर्क को बढ़ाने और मज़बूत करने के लिए, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-दरभंगा एक्सप्रेसवे और गंगा पर 2–लेन पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है।
- **रेलवे:** सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता प्रदान करने के लिए कई पहलें की गई हैं, जिसमें स्टेशनों और कोचों के आसपास बायो-टॉयलेट का निर्माण शामिल है।

- यातायात गलियारों, ऊर्जा गलियारों, खनिज तथा सीमेंट गलियारों और रेल सागर गलियारों जैसे संवर्द्धन के क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा के माध्यम से कार्बन को कम करना है।
- **जलमार्ग:** आर्थिक विकास को बढ़ाने और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट जल प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ते व्यापार को पूरा करने और वैश्विक क्षेत्र में भारत की समुद्री प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं की बढ़ती संख्या ने 'पीएम गति शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान और 'सागरमाला' राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाया है।
- **वायुमार्ग:** सरकार ने समूचे भारत में हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 की अवधि के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है।
- विमानों को पट्टे पर देने और शिक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाले ड्रोन के उपयोग के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।

अंतरिक्ष अवसंरचना

- भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। अंतरिक्ष अवसंरचना के लिए विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक ओर वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और दूसरी ओर, कई सफल मिशनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वैज्ञानिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है।

- बजट 2024–25 में सरकार ने अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पाँच गुना तक विस्तारित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष का प्रस्ताव दिया है।
- डिजिटल अवसंरचना
- एक मज़बूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निवेश, निश्चित रूप से भारत के 'डिजिटल इंडिया', 'फिनटेक नेशन' और 'स्टार्टअप इंडिया' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के द्वार खोलता है।
- ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार और 'डिजिटल इंडिया' पहल को मज़बूत करने के लिए विशेष आवंटन ने आम आदमी, नागरिकों, एम.एस.एम.ई. और निगमों के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुँच सहित डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार किया है।
- डिजिटीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है।
- भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति, भुवन, भारतमैप्स, सिंगल विंडो सिस्टम, परिवेश पोर्टल, नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन (प्रगति), इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (IIG) आदि जैसी कई कुशल बुनियादी ढाँचा योजनाएँ शुरू की हैं।
- ये सभी कार्य भारतनेट परियोजना के तहत किए जा रहे हैं।
- प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के साथ, सरकार 'भारत में ए.आई. और भारत के लिए ए.आई.' के तहत समावेश, नवाचार और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए ए.आई. (कृत्रिम मेधा) को शामिल कर रही है।

ऊर्जा अवसंरचना

- **बिजली क्षेत्र:** संशोधित प्रेषण क्षेत्र योजना (RDSS) के लिए आवंटित बजट 3.04 लाख करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2022–वित्त वर्ष 2026) है जिसमें अतिरिक्त 0.98 लाख करोड़ रुपए सरकारी सहायता है।
- इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2025 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करना है।
- इस क्षेत्र में 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल', स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम, 'समर्थ मिशन' आदि जैसे कार्यक्रमों के तहत ऊर्जा-कुशल स्ट्रीट लाइट और पंखों के साथ ग्रिड आपूर्ति बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया।
- **नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र:** ऊर्जा के अधिक उपयोग और इसके परिणामों के प्रभाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य-2030 को पूरा करने के लिए ऊर्जा बुनियादी ढाँचे के लिए राशि आवंटित की जाती रही है।
- इस क्षेत्र से वर्ष 2024 और वर्ष 2030 के बीच भारत में 30.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है जिसमें देश के, पारंपरिक स्रोतों से गैर-जीवाश्म ईंधन के उपयोग की ओर बढ़ने की आकांक्षा है।

अन्य बुनियादी ढाँचा पहलें

- भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष के बजट से लगभग 12% अधिक है।
- 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है।

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए 11,500 करोड़ रुपए की लागत से वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है जिसमें 'कोसी-मेची इंट्रा स्टेट लिंक' और 20 अन्य सिंचाई परियोजनाएँ शामिल हैं।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास (NICD) कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक पार्क प्रस्तावित हैं। राज्यों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए संसाधन आवंटन का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

आगे की राह

- बुनियादी ढाँचे पर खर्च में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत की विकास यात्रा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में नया मोड़ लेगी और 'विकसित भारत-2047' तक भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने में मदद करेगी, जो पूर्ण रूप से समग्र और सतत् विकास का वादा करती है।
- स्वाभाविक रूप से बुनियादी ढाँचे के तेज़ी से विकास से कुछ पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे और राष्ट्र के लिए चुनौतियाँ पैदा होने की संभावना है। इसलिए, जन समाज के हित तथा पृथ्वी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित और टिकाऊ बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएँ समय की मांग हैं।
- इसके अलावा, नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवर्धित बुनियादी ढाँचागत बजट के परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक विकास के लाभ निचले तबकों और अंतिम छोर तक पहुँचे। यह सार्वजनिक नीतिगत पहल और सुशासन से सुनिश्चित किया जा सकता है। दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये प्रभावी, समावेशी, सहयोगात्मक और टिकाऊ होने चाहिए।

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सतत् आर्थिक विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सशक्तीकरण सहित सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की जी.डी.पी. 7% या उससे अधिक की दर से बढ़ सकती है, बशर्ते कि संरचनात्मक सुधार जारी रहे। इस वृद्धि से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और पूरे देश में जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। हालाँकि, इसे हासिल करने के लिए समावेशी नीतियों और सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

समावेशी मानव संसाधन विकास

- समावेशी मानव संसाधन विकास का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को आर्थिक विकास में योगदान देने और उससे लाभ लेने के लिए आवश्यक कौशल और अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2024 के बजट में शिक्षा, रोज़गार और कौशल विकास पहलों के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का पर्याप्त आवंटन किया गया है।

शिक्षा और कौशल विकास पहलें

- बजट में सबसे परिवर्तनकारी घोषणाओं में से एक घोषणा 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को हब-एंड-स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने के लिए पाँच वर्षों में 60,000 करोड़ का प्रावधान किए जाने से संबंधित है।
- इन आई.टी.आई. का आधुनिकीकरण करके सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक मज़बूत बुनियादी अवसंरचना तैयार कर रही है।
- बजट में एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना भी प्रस्तुत की गई है जिसके अंतर्गत सरकारी गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।

- ये वित्तीय सहायता तंत्र, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने और ऐसे समावेशी विकास, जहाँ आर्थिक अवसर सभी की पहुँच में हों, के लिए माहौल को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।

रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ

- बजट में पाँच वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ के केंद्रीय परिव्यय के साथ रोज़गार से जुड़ी तीन प्रोत्साहन योजनाओं की रूपरेखा दी गई है।
- **पहली बार नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए योजना:** यह योजना पहली बार नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 15,000 तक की एक महीने की वेतन सब्सिडी प्रदान करती है। इससे 2.1 करोड़ युवाओं तक इसका लाभ पहुँचने की उम्मीद है।
- **विनिर्माण में रोज़गार सृजन :** यह योजना नियोक्ताओं को उनके ई.पी.एफ.ओ. अंशदान के एक हिस्से को कवर करके विनिर्माण क्षेत्र में नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका लक्ष्य 30 लाख युवाओं को रोज़गार देना है।
- **नियोक्ताओं को सहायता :** यह योजना 1 लाख प्रति माह से कम आय वाले नए कर्मचारियों के लिए ई.पी.एफ.ओ. अंशदान के 3,000 प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में 50 लाख नए रोज़गारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

परिपूर्ण दृष्टिकोण

- बजट में परिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 80 करोड़ से अधिक लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करती है, इस दृष्टिकोण का यह एक प्रमुख उदाहरण है।

- यह सुनिश्चित करके कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए, परिपूर्ण दृष्टिकोण का उद्देश्य एक अधिक समतापूर्ण समाज बनाना है जहाँ विकास के लाभों को व्यापक रूप से साझा किया जाता है।

महिला-नेतृत्व विकास

- महिला सशक्तीकरण सामाजिक न्याय की आधारशिला है। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है।
- यह पर्याप्त निवेश आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका के प्रति सरकार की मान्यता को उजागर करता है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, क्रेच और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम जैसी पहलों का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।

आदिवासी कल्याण

- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
- इस पहल ने 63,000 गाँवों को कवर करने और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए आवंटन के साथ व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक परिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।
- यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी अवसंरचना और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आदिवासी आबादी के सामने आने वाली अलग प्रकार की चुनौतियों का समाधान करता है।

संभावित प्रभाव

- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के तहत प्रस्तावित उपायों में भारत में महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार में निवेश करके, सरकार का लक्ष्य अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्द्धी कार्यबल तैयार करना है।

- इससे उत्पादकता बढ़ेगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा जिससे सतत् आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
- महिलाओं, आदिवासी समुदायों और पूर्वी राज्यों को लक्षित करने वाली पहल ऐतिहासिक असमानताओं और क्षेत्रीय विषमताओं का समाधान करती है।

चुनौतियाँ और विचार-विमर्श

- बजट के प्रस्ताव महत्त्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण हैं। उनके सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मज़बूत शासन और प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होगी।
- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि आवंटित धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए। लीकेज और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, कौशल और रोज़गार पहल की सफलता निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। सरकार को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए, व्यवसायों को मानव संसाधन विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- श्रम बाज़ार की कठोरता और अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है। श्रम बाज़ार के लचीलेपन में सुधार, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा और भौतिक तथा डिजिटल बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने के लिए सुधार, बजट की पहलों के पूरक होंगे और सतत् विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे।

निष्कर्ष

- सफलता मज़बूत शासन, प्रभावी समन्वय और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में कुशलतापूर्वक निधियों का उपयोग सुनिश्चित करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है। श्रम बाज़ार के लचीलेपन और बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधार इन पहलों के पूरक होंगे, जिससे एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज को बढ़ावा मिलेगा, जहाँ सभी लोग फल-फूल सकेंगे।

सार्वजनिक वित्त और विकास

संदर्भ

- 2024–25 का बजट मुख्य रूप से 'गरीब', 'महिला', 'युवा' और 'अन्नदाता' पर केंद्रित है। बजट में लक्षित प्रमुख क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, कौशल विकास, एम.एस.एम.ई. और मध्यम वर्ग शामिल हैं। बजट प्रस्तावों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री ने अपने भाषण में प्राथमिकता वाले नौ क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है - कृषि में उत्पादकता और लचीलापन; रोज़गार और कौशल; समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय; विनिर्माण और सेवाएँ; शहरी विकास; ऊर्जा सुरक्षा; बुनियादी ढाँचा; नवाचार, अनुसंधान और विकास; और अगली पीढ़ी के सुधार।

कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

- कृषि देश के 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान करती है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 18.2% का योगदान करती है। इसके विशेष महत्त्व को समझते हुए बजट में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने के लिए भारत के कृषि क्षेत्र के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- **कृषि अनुसंधान में बदलाव:** बजट में कृषि अनुसंधान के लिए चुनौती के अंदाज़ में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य किसानों को खेत और बागवानी की 32 फसलों की 109 नई, उच्च उपज वाली और जलवायु-अनुकूल किस्में उपलब्ध कराना है।
- **प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन:** बजट में अगले दो वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने और सहायता देने, 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने और प्रमाणीकरण व ब्रांडिंग के माध्यम से किसानों की सहायता करने का प्रस्ताव है।
- **दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता:** वर्तमान में दालों की मांग और आपूर्ति के बीच 4.4 मिलियन टन का अंतर है जिसकी पूर्ति आयात से होती है। भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। बजट में उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मज़बूत करके दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ज़ोर दिया गया है।
- **सब्ज़ी उत्पादन और आपूर्ति शृंखला:** भारत वैश्विक स्तर पर सब्ज़ी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। परंतु अक्षम आपूर्ति शृंखलाओं, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, परिवहन समस्याओं और अपर्याप्त बाज़ार संपर्कों के कारण कटाई के बाद काफी नुकसान होता है।
  - इन समस्याओं के समाधान के लिए वित्त मंत्री ने प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास सब्ज़ी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित करने और सब्ज़ी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO)] सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की।

- **कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार के लिए अभिनव, किसान-केंद्रित समाधानों और सेवाओं के विकास को सक्षम करेगी।
  - बजट में प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि में डी.पी.आई. को लागू करेगी जिसमें चालू वित्त वर्ष में 400 ज़िलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान और भूमि पंजीयन में 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण शामिल किया जाएगा।

रोज़गार और कौशल विकास

- जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और एक समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ के आवंटन के साथ पाँच योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की, जिसका लक्ष्य पाँच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना है। इस महत्त्वाकांक्षी पैकेज में निम्नलिखित पहलें शामिल हैं :
- **रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-क (पहली बार काम करने वालों के लिए):** यह 2.1 करोड़ युवाओं को लक्षित है जो 1 लाख प्रति माह से कम वेतन के साथ नए कार्यबल में प्रवेश करते हैं। सरकार एक महीने का वेतन, 15,000 तक, तीन किस्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में डालेगी। सभी औपचारिक क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं।

- **विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन:** 30 लाख युवाओं को लाभ पहुँचाने वाली यह योजना विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की व्यापक भर्ती को बढ़ावा देती है। यदि नियोक्ता पिछले वर्ष की तुलना में कम-से-कम 25% अधिक ई.पी.एफ.ओ. कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं या कम-से-कम 50 ऐसे कर्मचारी नियुक्त करते हैं जो पहले ई.पी.एफ.ओ. के दायरे में नहीं थे तो इस स्थिति में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- **नियोक्ताओं को सहायता:** इस योजना से 50 लाख लोगों को रोज़गार के लिए प्रोत्साहन मिलने और सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार मिलने की अपेक्षा है। 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ता जो अपने ई.पी.एफ.ओ. कर्मचारियों की संख्या में कम-से-कम दो की वृद्धि करते हैं, और अन्य नियोक्ता जो ई.पी.एफ.ओ. कर्मचारियों की संख्या में पाँच की वृद्धि करते हैं, वे प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

कौशल विकास

- **शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप:** प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से पाँच वर्षों में 21–24 वर्ष की आयु के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करेगी। इंटर्न को एक साल के लिए 5,000 मासिक भत्ता मिलेगा।
- **महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच:** वित्त मंत्री ने महिलाओं की कार्यबल में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच के निर्माण के साथ-साथ कौशल विकास ऋण और शिक्षा ऋण योजनाओं की घोषणा की।
- 1 लाख छात्रों को 3% ब्याज अनुदान के साथ 10 लाख तक के शिक्षा ऋण से लाभ होगा और 25,000 युवाओं को सालाना कौशल विकास ऋण मिलेगा।

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

- **पूर्वोदय:** सांस्कृतिक परंपराओं और संसाधनों से समृद्ध भारत के पूर्वी क्षेत्र में 'पूर्वोदय' योजना के तहत व्यापक विकास होगा। इस पहल का उद्देश्य मानव संसाधन, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक अवसरों का विकास करना है।
- **महिलाओं के नेतृत्व में विकास:** बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर बल देता है। बढ़ी हुई धनराशि उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को लक्षित करती है।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान:** आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए सरकार आदिवासी बहुल गाँवों और आकांक्षी ज़िलों में आदिवासी परिवारों को शामिल करते हुए यह पहल शुरू करेगी।
- **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कवरेज में विस्तार:** उत्तर पूर्व में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ खोली जाएंगी।
- **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास के लिए वित्तपोषण में वृद्धि:** बजट में शिक्षा के लिए आवंटन 12% बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ कर दिया गया है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना और डिजिटल शिक्षण उपकरणों तक पहुँच का विस्तार करना है। स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तपोषण 15% बढ़ाकर 3.8 लाख करोड़ कर दिया गया है।

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र

- **एम.एस.एम.ई. के लिए ऋण गारंटी योजना:** सरकार एम.एस.एम.ई. को बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सावधि ऋण की सुविधा के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करेगी। इस योजना के लिए बजट में 9,812 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

- **एम.एस.एम.ई. ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडल:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पारंपरिक परिसंपत्ति या टर्नओवर मानदंडों के बजाय एम.एस.एम.ई. के डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर एक ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे।
- विशेष उल्लेख खाता (SMA) चरण में एम.एस.एम.ई. के लिए एक नया तंत्र सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि गारंटी के माध्यम से बैंक ऋण की निरंतरता की सुविधा प्रदान करेगा।
- टी.आर.ई.डी.एस. में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा- बजट ने टी.आर.ई.डी.एस. (व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली) प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दी है जिससे व्यापार प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तित करके एम.एस.एम.ई. के लिए कार्यशील पूंजी अनलॉक हो जाती है।
- इसके अतिरिक्त सिडबी (SIDBI) सभी प्रमुख एम.एस.एम.ई. क्लस्टरों तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए नई शाखाएँ खोलेगा और उन्हें सीधे ऋण उपलब्ध कराएगा।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएँ

- **औद्योगिक पार्क:** सरकार राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में पूर्ण बुनियादी ढाँचे के साथ निवेश के लिए तैयार 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करेगी।
- **औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास:** औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की सुविधा के साथ किराये के आवास को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पी.पी.पी. मोड में सुगम बनाया जाएगा।

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग:** ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, रसद, एम.एस.एम.ई., सेवा वितरण और शहरी शासन जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता, व्यापार के अवसरों और नवाचार को बढ़ाने के लिए जनसंख्या स्तर पर डी.पी.आई. अनुप्रयोग विकसित किए जाएंगे।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** बजट में पी.एल.आई. योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा व औषधीय जैसे प्रमुख उद्योगों में रोज़गार पैदा करना है।
- **स्टार्टअप को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बजट में सभी वर्गों के निवेशकों पर 'एंजेल टैक्स' को समाप्त करने का प्रस्ताव है। ये पहलें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी और भारतीय निर्माताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएंगी जिससे छोटे व्यापारियों और एम.एस.एम.ई. के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त होगा।

शहरी विकास

- **विकास केंद्र के रूप में शहर:** राज्यों के साथ मिलकर काम करते हुए सरकार शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगी।
- **शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास:** सरकार परिवर्तनकारी प्रभावों के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्षम नीतियों, बाज़ार-आधारित तंत्रों और विनियमों के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी।
- **शहरी आवास:** सरकार आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करेगी।

- **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** सरकार, राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी करके 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देगी।

ऊर्जा सुरक्षा

- **ऊर्जा संक्रमण:** सरकार ऊर्जा संक्रमण पथ पर एक नीति लाएगी जो रोज़गार, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करेगी। सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** इस योजना का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है जिससे 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके।
- **स्टोरेज नीति:** विद्युत भंडारण के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति तैयार की जाएगी।
- **छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान एवं विकास:** सरकार भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।
- **उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट:** भारत ने उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC) थर्मल पावर प्लांट के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है।

बुनियादी ढाँचा

- **केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढाँचे में निवेश:** केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह जी.डी.पी. का 3.4% है।

- **बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश:** सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, सक्षम नीतियों और बाज़ार-आधारित वित्तपोषण ढाँचे के माध्यम से बुनियादी ढाँचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगी।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. का चौथा चरण शुरू किया जाएगा।
- **पर्यटन अवसंरचना:** केंद्र सरकार प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी। इस से रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।

नवाचार, अनुसंधान और विकास

- अनुसंधान और विकास (R&D) और नवाचार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने व वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। आर एंड डी को बढ़ाने के लिए 'अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष' का संचालन किया जाएगा।
- अगले दस वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पाँच गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान और नवाचार पर सरकार का ध्यान तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा और उच्च तकनीक वाली नौकरियाँ पैदा करेगा।

अगली पीढ़ी के सुधार

- अगली पीढ़ी के सुधारों का उद्देश्य अधिक कुशल और प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्था बनाना है। सरकार आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को परिभाषित करने और सुधारों की अगली लहर को आगे बढ़ाने के लिए एक आर्थिक नीति ढाँचा तैयार करेगी। ये उत्पादकता बढ़ाएंगे और अधिक कुशल बाज़ारों व क्षेत्रों की सुविधा प्रदान करेंगे। इन सुधारों में राज्य सरकारें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- राज्यों को सुधारों के तेज़ी से क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि-संबंधी सुधारों के लिए राज्यों को 50–वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण का एक हिस्सा आवंटित करने का प्रस्ताव है।
- बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित की जा सके।

निष्कर्ष

- तेज़ी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सूझ-बूझ से आगे बढ़ते भारत में 2024–25 का बजट एक सुदृढ़ और स्थायी भविष्य की दिशा तय करता है। इन पहलों की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, निरंतर निरीक्षण और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था निर्धारण पर निर्भर करेगी।